

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 316/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/498)

1. धर्मपाल पुत्र सुखदेव, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामफल पुत्र मातादीन, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा।

—असल-रेस्पोंडेन्ट

2. श्रीराम पुत्र कुडाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा।
3. विजयपाल पुत्र मेहरचन्द, जाति अहीर निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा।
4. तहसीलदार भूमिधारी कोटकासिम, हाल जिला खैरथल-तिजारा।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा दिनांक 14.11.2022

उपस्थित-

1. श्री विजयसिंह राठौड़, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगा0 3 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक -18.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 14.11.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.10.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल. आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 873/0.5400 हैक्टयर वाके ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राज. में स्थित है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 30.06.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब, कोटकासिम के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान 21 दिनांक 16.06.2021 की पालना में हल्का पटवारी से करवाई हुई है। प्रार्थी अपनी विवादित आराजी की पैमाईश, मौका पर्चा दिनांक 30.06.21 के अनुसार पत्थरगढी करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 0.5400 हैक्टयर वाके ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राज0 की पुनः पैमाईश की जाकर मौका पर्चा दिनांक 30.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 873/0.5400 है0 वाके ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राज0 से लगती आराजी के सभी काश्तकारों को विधिवत रूप से पूर्व सूचित कर

उनकी मौजूदगी में पुनः पैमाईश कर रकबे को पूरा करते हुए पत्थरगढी करवाई जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्त धर्मपाल पुत्र सुखदेव द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर दिनांक 14.11.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेंट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान तहत् न्यायालय असल रेस्पोंडेंट द्वारा खसरा नं० 873 रकबा 0.5400 है० की पैमाईश 30.06.2021 को मिन अपीलान्त के पीट पीछे बाला-बाला कराई है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्त को नहीं दी गई। जबकि पीछे बाला-बाला कराई है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्त को नहीं दी गई। जबकि मिन अपीलान्तान विवादित आराजी के पडोसी है। ना तो मिन अपीलान्त को नोटिस दिया गया और ना ही वक्त पैमाईश सूचना दी गई। जबकि असल रेस्पोंडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र के जिमन नं० 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि उत्तर तरफ में अप्रार्थी संख्या 3 की आराजी है जिस पर उसका कब्जा काश्त है दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 और 2 की आराजी व पूर्व दिशा की तरफ स्वयं मिन प्रार्थी असल-रेस्पोंडेंट की आराजी व पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 की आराजी है। जिस पर उनका कब्जा है जो विवादित भूमि से लगती हुई है लेकिन किसी को नोटिस जारी नहीं किये गये और साक्ष्य व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। असल रेस्पोंडेंट आराजी खसरा नं० 873 की आड में रास्ते की भूमि को दबाना चाहता है। जिससे मिन अपीलान्त व अन्य लोगों को असुविधा होती है और उक्त गलत पैमाईश के आधार पर मिन अपीलान्तान की आराजी से लगती हुई है उसका रकबा कम कराते हुए अपनी आराजी की पैमाईश कराई गई है। अपीलान्त द्वारा मौके पर रास्ते की भूमि पर पत्थरगढी कराई जाती है तो रास्ता पूर्णतया बन्द हो जायेगा जबकि उक्त रास्ता सरकारी रास्ता है। विवादित आराजी से लगती हुई मिन अपीलान्त की भूमि है। जिसमें पुख्ता मकान बने हुए हैं। लेकिन मौके पर जाकर तहसीलदार या पटवारी हल्का ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और ना विवादित आराजी से लगते हुए खसरा नम्बरान की कोई पैमाईश नहीं की गई। जबकि कानूनन पैमाईश अडोसी पडोसीयों के समक्ष की जानी चाहिए थी और इसी बात को मिन अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा तहत् न्यायालय में निवेदन किया गया था लेकिन तहत् न्यायालय ने मिन अपीलान्त के ऐतराजात को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहत् न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2022 की आड में असल रेस्पोंडेंट द्वारा गलत पैमाईश के आधार पर मिन अपीलान्त व तरतीबी रेस्पोंडेंट की आराजी में पत्थर गाडने की जूस्तजू में लगे हुए हैं और मिन अपीलान्त की आराजी में यदि पत्थर गाड दिये जाते हैं। तो मिन अपीलान्त की आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे से कम हो जायेगी लेकिन तहत् न्यायालय ने मिन अपीलान्त की पीडा को समझे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। असल-रेस्पोंडेंट ने दो प्रार्थना-पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये थे। जिसमें एक प्रार्थना पत्र संख्या 59 दिनांक 10.12.2021 विवादित आराजी खसरा नं० 873 रकबा 0.5400 है० वाके ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में स्थित भूमि के सम्बन्ध में पेश किया। जिसमें मिन अपीलान्त के वकील की अनुपस्थिति दर्ज कर रखी है तथा अन्य प्रकरण में उपस्थिति दर्शायी गई है। तहत न्यायालय को मिन अपीलान्त की आराजी को कम करने का किसी प्रकार से कानूनन कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तहत न्यायालय ने इन समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, हाल जिला खैरथल का आदेश दिनांक 14.11.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि तहत् न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 की पालना में पटवारी हल्का व आई.एल.आर. मौके पर पत्थरगढी

करने पहुंचे तो अपीलान्त को पत्थरगढी की कोई सूचना नहीं दी गई है। जिस पर अपीलान्त ने सभी तथ्यों की जानकारी की तो पता चला कि विद्वान तहत् न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.11.2022 के अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये हैं। जिस पर अपीलान्त ने तहत् न्यायालय में नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2023 को पेश किया जो नकल दिनांक 04.07.2023 को प्राप्त हुई। फिर वकील साहब ने पैमाईश रिपोर्ट लाने के लिए कहा। फिर पैमाईश रिपोर्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2023 को पेश किया तो वह दिनांक 27.09.2023 को प्राप्त हुआ। जिस पर अपीलान्त ने वकील साहबान से सलाह मशविरा किया जिन्होंने अपील पेश करने की सलाह दी। अपीलान्त ने जैसे आदि का इन्तजाम कर वकील साहब से जयपुर में आकर सम्पर्क किया तो उन्होंने अपील तैयार करवाकर आज बिना किसी देश के न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की है हालांकि जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2022 पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।
7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये तथा माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रकरण पत्थरगढी से संबंधित है जिसमें पड़ोसी खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जाँच भी नहीं की गई है। अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा को न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जाँच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल-तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जाँच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।



(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर